

>

Title: Regarding compensation and assistance to farmer whose lands have been acquired for developmental works.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): महोदया, आजादी के 62 साल बाद, यह देश तरवरी कर रहा है, लेकिन किसानों की हालत, किसान-मजदूरों की हालत बजाए अच्छी होने के दिन-ब-दिन खराब हो रही है। किसानों को आजादी के 62 साल बाद भी उनकी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। उनकी जमीन जब सरकार चाहती है, सङ्क के नाम पर, विजली के नाम पर, प्राइवेट या सरकारी संस्थानों के नाम पर कौड़ियों के भाव ते लेती है और बिना बाजार भाव तय किए पैसा उनके खाते में डाल दिया जाता है। मुआवजा बहुत कम होता है और किसान उस मुआवजे को पाने के लिए या तो उस विभाग में वक्तव्य काटता रहता है या अठात का दरवाजा खटखटाते-खटखटाते बूँदा हो जाता है। आजादी के 62 साल बाद भी किसान कहीं पर भूमिधर, कहीं पर सीरधर, कहीं पर जी-1/1, जी-1/3, जी-1/4 में उनके नाम दर्ज होते हैं। भूमि का बड़ा भाग जो जंगलों में था, जो अनुशयित जाति, अनुशयित जनजाति जैसे लोगों के लिए था, आज उसे भी सरकार ले रही है। ऐसी स्थिति में किसान की हालत दिन-प्रति-दिन खराब हो रही है और पूरे देश में अर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों में किसानों का प्रतिशत सबसे अधिक है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमें कोई एतराज नहीं है कि हमारी जमीन अधिकृत न की जाए, लेकिन उसका मालिकाना हक मिल जाए, जमीन का रेट बाजार भाव के हिसाब से मिले, जिस संस्थान के लिए जमीन ती जाए उसमें उन किसानों के बत्तों को नौकरियां दी जाएं। जमीन का मुआवजा बाजार रेट से दिया जाए तथा अपिंतंब दिया जाए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि भारत सरकार इसमें तत्काल फसलेप करके किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलाए। किसानों की जमीन आज विकास के नाम पर, शहरों के नाम पर कौड़ियों के भाव पर ती जा रही है और प्राइवेट पूँजीपतियों को कौड़ियों के भाव ती जा रही है। उस पर बनने वाली कालोनियों के लिए जमीन लेते समय बीघे के हिसाब से रेट दिया जाता है और छारों रूपए गज के हिसाब से उसमें उनको आवास खरीदने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कठना वालता हूँ कि चाहे शहरों का क्षेत्र हो, वाहे सङ्क के नाम पर ती जाने वाली जमीन हो, चाहे विजली के नाम पर या सरकारी संस्थानों के नाम पर ती जाने वाली जमीन हो, उसमें उनको आवास सरस्ती दरों पर दिए जाएं तथा जिनकी जोत खत्म हो रही है, उनको भूखों मरने से बचाने के लिए उचित रेट से मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था करें।